राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः 11 (2) 16/मो./आईसीडीएस/APR/2018-19 जयपुर, दिनांक 25-7-18

135286-318

उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त।

विषयः- राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

प्रसंगः- शासन सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय के परिपत्र क्रमांक प.30 (6) मंमं/2016 दिनांक 07.06.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गतिविधियों एवं विस्तृत जानकारी की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रति वर्ष माह 31 दिसम्बर, तक की सूचनाओं को संकलित करते हुऐ विभाग का वार्षिक **प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण** छपवाकर 325 प्रतियां प्रति वर्ष विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व भिजवाने के निर्देश प्रदान थे।

इस वित्तीय वर्ष 2018-19 से शासन सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देशित किया है कि विभाग की संचालित योजनाओं की गतिविधियों एवं विस्तृत जानकारी की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 30 नवंबर, 2018 तक की सूचनाऐं सम्मिलित करते हुऐ विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण की 325 प्रतियां निर्धारित समय में छपवाकर विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर 2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

अतः शासन सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय द्वारा जारी परिपत्र की छाया प्रति सलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से संबंधित समस्त प्रकार की मासिक MPR प्रति माह परियोजनावार संकलित कर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि माह 30 नवंबर, 2018 तक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की प्रति माह भेजी जाने वाली मासिक MPR की सूचनाऐं 5 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि सूचनाओं का

समयावधि में संकलित कर विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण की 325 प्रतियां निर्धारित समय में छपवाकर विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर 2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जा सके, अन्यथा विलम्ब के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः 11 (2) 16/मो./आईसीडीएस/APR/2018–19 135319-622 जयपुर, दिनांक 24-7-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण हेतु आवश्यक सूचनाएँ उपनिदेशक कार्यालय को दिनांक 03 दिसम्बर तक भिजवाना सुनिश्चित करावें।

2. ACP उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें

अतिरिक्त निदेशक (ICDS)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

5556
18/6/18

क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2016 पार्ट

जयपुर दिनांक:– 07/06/2018

परिपत्र

विषय :–राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक विभागों द्वारा राजकीय बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाकर, प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है।

मुख्य सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 4(3)वित्त–1(1)बी/2006 दिनांक 27.4.2006 एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय के बैठक निर्णय क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2016 पार्ट दिनांक 05.06.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये प्रशासनिक विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि, जिनके वार्षिक प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने है, में दिनांक 30 नवम्बर तक की सूचना/ऑकडे सम्मिलित करते हुए तैयार किये जावेंगें, अभी तक उक्त प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर की सूचना संकलित कर तैयार किये जा रहे थे। वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से विधानसभा सचिवालय को भिजवाये जावेगें, संबंधित विभागों द्वारा यह पुष्टि की जावेगी कि उनके अधीनस्थ समस्त विभाग/बोर्ड/निगम/उपक्रमों इत्यादि के प्रगति विवरण में दिनांक 30 नवम्बर तक के आँकड़े/सूचना को सम्मिलित कर लिया गया है तथा विधानसभा में भेजे जाने वाले वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख नहीं किया गया है।

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर तक निश्चित रूप से विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवेदन की 5 प्रतियां वित्त (आय–व्ययक)विभाग, एक–एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें।

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में एकरूपता तथा इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसमें निम्न बिन्दुओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जावे:–

1. विभाग का संगठनात्मक ढांचा।
2. स्वीकृत– कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण।
3. विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना।
4. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि।
5. सार– संक्षेप **(Executive summary)**।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

7.6.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 मत्री, संसदीय कार्य, विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
6. रक्षित पत्रावली ।

(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान,जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष

शासन उप सचिव